RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-08
August-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i08.046

प्रशासन में महिलाओं की भूमिका : स्थानीय प्रशासन के विशेष सन्दर्भ में

Dr. Mahendra Singh Khichar

Principal, Vivakanand P.G. College, Sikar

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 17 August 2020

Keywords
सशक्तीकरण, तमाम, अंर्तविरोधों, प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रनिर्माण, सर्वोन्मुखी, अनुपातिक

ABSTRACT

भारतीय संस्कृति गरिमा युक्त रही है, क्योंकि इसके मूलतत्व यथार्थवादी एवं जीवन से जुड़े रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिवार के पुत्र–पुत्रियों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा देकर संस्कृति को पुष्ट किया। भारत पुरूष प्रधान देश है लेकिन देश के गौरव को ऊँचा उठाने एवं पुरूषों को सम्मान जनक स्थान दिलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदिक युग से आज तक बदलते हुए परिवेश में महिलाओं ने समाज एवं परिवार के प्रबंधक और विकास मे अपनी सकारात्मक भागीदारी सिद्ध की है वैसे भी किसी राष्ट्र राज्य एवं समुदाय के सर्वोन्मुखी एवं सतत् विकास प्रगति एवं उन्नति के लिए प्रत्येक वर्ग, आयु, धर्म, जाति, लिंग तथा स्तर के लोगों की सक्रिय भागीदारी तथा किये गये कार्य के परिणामस्वरूप लाभों के न्यायिक एवं अनुपातिक वितरण अतिआवश्यक है। महिलाओं राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में अहम् भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं।

शोध विस्तार :– आज महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कधें से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। जहाँ महिलाओं ने अपनी कामयाबी की बुलंदियों को नहीं छुआ है। महिलाओं के सक्रिय होने और उनके आगे बढ़ने से उनमें आत्मविश्वास भी आया है। उनमें आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल हो गयी हैं लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसी कई महिलाएं है जो हर तरह से योग्य होने के बावजूद अधिक ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाई। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब यहाँ की महिला राजनीतिक सत्ता में अपना हिस्सा मांग रही है। यह बताता है कि उसमें अपने अधिकारों के प्रति इतनी समझ व चेतना आ गई है कि अब वह सशक्तीकरण के इस सर्वोच्च अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती। वह जान गई कि इसे पाए बिना वह अपने बाकी तमाम सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों का वास्तविक उपयोग नहीं कर सकती। सदियों से चले आ रहे अपने दोयम दर्जे को नहीं बदल सकती। उसे उसकी पहचान नहीं मिल सकती। इस पहचान को पाने के लिए बराबरी के संवैधानिक अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए और विकास की गति को अपनी ओर मोड़ने व लोकतंत्र को वास्तविक व मजबूत बनाने के लिए तमाम सत्ताओं के समूह राजनैतिक सत्ता को उसे पाना ही होगा। लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण की उसकी यह मांग बताती है कि अपने तमाम अंर्तविरोधों और अंतर संघर्षों व बाहरी प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरूद्ध भारत में नारी आन्दोलन की धार अविरल अपना रास्ता बनाती रही है और आज ऐसी जगह पर पहुँच गई है जहाँ से उसे सुखाया नहीं जा सकता न ही उसे रोका जा सकता है। आरक्षण की यह मांग महिला आन्दोलन की सफलता भी है, विफलता भी। विफलता इसलिए कि आज से पचास पहले उसने खुद ही इस मांग को पूरी तरह नकार दिया था और 1991 तक इसे नकारती आई थी पर आज वह न केवल इंस की मांग ही कर रही है बल्कि इसे पाने के लिए वह संसद तक के भीतर व बाहर संगठित भी हो रही है। यही नही आजादी से पहले भी जिस स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा व नशाखोरी आदि मुद्दों को लेकर वहाँ समाज सुधार का काम कर रही थी सभी मुद्दे व समस्याएं कहीं ज्यादा भयानक व जटिल होकर आज भी उसके व पूरे समाज के सामने खड़ी है उनका विस्तार ही हुआ है।[1]

वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है और प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या भी निरंतर घट रही है संतुलन की दृष्टि से यह संख्या बराबर होनी चाहिए। महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कई सामाजिक और आर्थिक कारण उत्तरदायी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारे देश की सरकार द्वारा इन कारणों से निजात दिलाने हेतु संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई है। अनेक अधिनियम लागू किए गये हैं और ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। इनके आशातीत परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

राष्ट्र के उत्थान हेतु महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अपरिहार्य है लेकिन यह तभी संभव है जब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए जिसके लिए महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है। वर्तमान में महिलाओं को संगठित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि महिलाओं को सहकारी संगठन से जोड़ा जाए तथा महिला सहकारी समितियों का गठन किया जाए।[2]

RRIJM 2015, All Rights Reserved

वर्तमान स्थिति में महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है जो उनके लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए महिलाओं को एक साथ मिलकर मजबूत कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं करने पर सौ सदियों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार महिलाएं सामाजिक शोषण एवं दबाव का शिकार बनकर रह जाएगी। महिलाओं को एकजुट होकर रणनीति तय करनी होगी और विकास एवं स्वशासन में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए सजगता से एक–एक कदम उठाना होगा। इस संबंध में महिलाओं को अधिकारों के प्रति चेतना, महिला शिक्षा पर जोर, सामूहिक संगठन, नेतृत्व एवं मनोवृत्ति, पारिवारिक प्रबन्ध के साथ सामाजिक एवं आर्थिक प्रबन्धन में पुरूषों के साथ सकारात्मक भूमिका एवं प्रशासन विकास में प्रतिनिधित्व के अनुसार भागीदारी सुनिश्चित करना आदि बिन्दुओं पर गंभीर चिन्तन की जरूरत है।

पंचायती राज लोकतंत्र का एक प्रयोग है। दुनिया में कई प्रकार के लोकतंत्रों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह एक सच्चे लोकतंत्र का प्रयोग है। यह एक साहसिक प्रयोग है। इसलिए पंचायती राज के विचार पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो लोग सच्चे लोकतंत्र का विश्वास करते हैं, उन्हें सक्रिय सहयोग देना चाहिए।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 का प्रावधान है। इस पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम बार महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास उन्नति की ओर अग्रसर होगा। परंपरावादी महिलाएं, जिनके लिए घूंघट की मर्यादा जीवन मरण का सवाल था और पुरातन व आधुनिक कशमकश में जीवन यापन करने वाली महिलाएं, जिनकी देहरी लांघ कर सार्वजनिक मंच पर आने की मन में दबी इच्छा तो थी, पर परम्पराओं के निर्वाह का अवचेतन पर गहरा दबाव उन्हें पीछे धकेल देता था लेकिन नई पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए नई उम्मीदें जगाई, रास्ते खोले और महिलाएं इन रास्तों पर कदम ताल मिलाती हुई घूंघट की ओट से पंचायत के मंच तक पहुँच गई अनेक महिला पंचायत पदाधिकारियों ने अपनी दक्षता, महत्ता ओर उपादेयता भी साबित कर दी है। 73वें संविधान की धारा 243 में प्रावधान है कि पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाने वाले कछ पदों में से महिलाओं के लिए एक तिहाई पद तो आरक्षित रहेंगे ही इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को दिये जाने वाले आरक्षण में भी महिलाओं को एक तिहाई पद आरक्षित होगें। पंचायतों के अध्यक्ष पद पर महिलाओं का एक तिहाई हिस्सा आरक्षित रहेगा। सत्ता में महिलाओं की इस भागीदारी से महिलाओं की जो मौजूदा सामाजिक स्थिति है, उसमें भी क्रांतिकारी परिर्वतन आना शुरू हो गया है। संविधान के इन्हीं प्रावधानों के चलते मध्य प्रदेश में पंचायती राज का असली जागा पहनाए जाने के बाद महिला पंचायत पदाधिकारियों का राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप साफतौर से दिखाई देने लगा।[3]

पंचायत अधिनियम के लागू होने से पहले कर्नाटक में सवाल उठाया गया था कि इतनी सारी महिलाएं मिलेंगी कहाँ? जो महिलाएं ठेठ परम्परा का निर्वाह करते हुए बिना घूंघट निकाले घर की देहरी नहीं लांघती वे एकाएक पंचायती मंच पर जुबाल कैसे खोलेगी? अफसरशाही के सामने गांव की समस्याएं कैसे रखेगी और कैसे सुलझाएगी। अनेक राजनीतिक दलों ने भी इन आवाजों को हवा देकर महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को कुचलने की कोशिश की लेकिन कर्नाटक में जब चुनाव हुए तो महिलाएं मैदान में आई। हालांकि इन महिलाओं में उम्र दराज महिलाओं के बनिस्पत प्रौढ़ और युवा महिलाएं ज्यादा थी। हर जाति और तबके की महिलाओं के बीच चुनाव लड़ने और प्रशासकीय हस्तक्षेप में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी गई। निःसन्देह इन चुनावों से महिलाओं के बीच आई जागरूकता से इनमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने व शिक्षा अर्जित करने के लिए जबरदस्त इच्छा पैदा होगी। वैसे भी महत्वकांक्षा, प्रगति के नए द्वार खोलने में सहायक होती है। महिलाएं विजयश्री जासिल करने के बाद पंचायत पदाधिकारी के पदों पर आसीन हुई थी।

महिलाओं के पदारूढ़ होने के दो साल बाद इन महिलाओं की मनः स्थिति व कार्य व्यवहार 'समाज विज्ञान संस्थान' ने ब्यौरेवार अध्ययन किया। इस अध्ययन से महिलाओं में हुए परिर्वतन सामने आए। महिलाएं अब बहस तर्क–वितर्क में बराबर हिस्सा लेने लगी थी। जरूरत पड़ने पर नोंक–झोंक भी करने लगी। वे अपना पक्ष पूरी निर्भिकता एवं निष्पक्षता से पटल पर रखती थी। अपने मातहतों से ग्राम विकास कार्यों की सिलसिलेवार वे जानकारी लेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्याओं के निदान में भी उनमें अच्छी खासी रूचि देखी गई तब से उनके आचार व्यवहार में निरंतर परिर्वतन आ रहा है।[4]

पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं के पदार्पण से उनसे अनक आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ गई है। देश की आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 30 हजार करोड़ रूपये की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है। जिससे ग्रामीण लोगों को अधिक मात्रा में आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। साथ ही ग्रामीण लोगों को विशेषकर आर्थिक सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों को, विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें विकास की धारा में शामिल किया जा सके। पंचायतों के लिए चुनी हुई ये महिलाएं गांव के सजग प्रतिनिधि के रूप में और भी अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकी है। पंचायतों के लिए चुनी गयी महिला प्रतिनिधियों का एक और विशेष योगदान जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कराने के क्षेत्र में होना अपेक्षित है। यद्यपि साक्षरता बढ़ने के साथ–साथ इन कार्यक्रमों की सफलता की दर में भी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

वृद्धि होगी, लेकिन बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रही प्राकृतिक संसाधनों की कमी विकास कार्यक्रमों के माध्यमों से अपेक्षित मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था करने में बाधा उत्पन्न होना आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।[5]

एक विशेष अपेक्षा इन महिला प्रतिनिधियों से देश के लिए एक स्वच्छ एवं नैतिकता पूर्ण राजनैतिक परिवेश प्रदान करने हेतु एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने से संबंधित है। सर्वविदित है कि वर्तमान राज नैतिक क्षेत्र में नैतिकता, ईमानदारी, सज्जनता और जनसेवा का स्थान भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी और निजीस्वार्थ पूर्ति लेती जा रही है। पंचायतों के माध्यम से राजनीतिक में प्रवेश कर चुकी इन महिलाओं से जहां एक कुशल नेतृत्व की आशा है। वहीं राजनीति को प्रदूषण से मुक्त कराने की भी प्रबल अपेक्षा है। यद्यपि यह कार्य नितान्त चुनौतीपूर्ण भी है।

नवीन पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तभी संभव हो पायेगा जब उपरोक्त समस्याओं का सुलझाया जायेगा और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया है। धारा 15 के अनुसार महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित रहेंगे। एक तिहाई पंच हर पंचायत में एक तिहाई सरपंच हर पंचायत में एक तिहाई प्रधान हर जिले में एक तिहाई प्रमुख पूरे राज्य में महिलाएं होंगी। महिला वार्ड आरक्षित होंगे। महिला वार्ड से तो केवल महिला प्रत्याक्षी चुनाव लड़ सकेगी। इस प्रकार पुरूष वार्ड में भी महिलाएं चाहे तो चुनाव लड़ सकेंगी।[6]

धारा 15 ही के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में पंचों, सरपंचों, प्रधानों एवं प्रमुखों के पद भी आरक्षित किये जायेंगे। पिछड़ी जाति हेतु भी निश्चित प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। इसलिए धारा 26 में सरपंच हेतु हिन्दी पढ़ने व लिखने की योग्यता की अनिवार्य शर्त अब समाप्त कर दी गई है।[7]

अतः मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक नीतियों व कानूनों का निर्धारण स्त्री पुरूष दोनों ही मिलकर करें परन्तु जब तक ऐसा वास्तव में सम्भव नहीं हो पाता है तब तक आरक्षण का सहारा लेना गलत नहीं होगा अर्थात वांछित बराबरी का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आरक्षण के इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है। महिलाओं को आरक्षण की नहीं अवसरों की जरूरत है। परन्तु फिर भी आरक्षण के मुद्दे की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की योग्यता या क्षमता में कोई कमी भी नहीं है। उदाहरणतः भारत में पंचायती राज में जहां भी महिलाएं है काफी उल्लेखीय काम कर रही है। शिक्षा, कार्यकुशलता, क्षमता तथा दक्षता में देश की कई महिलाओं ने काफी उच्च मापदण्ड बनाए है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाएं दक्षतापूर्वक कार्य कर रही है। महिलाएं अपने मनचाहे नीति काम के अवसर पर सुविधाएं प्राप्त कर सके। इसके लिए एक राष्ट्रीय महिला नीति बनाई जानी चाहिए। भारतीय इतिहास में शुरू से ही महिलाओं ने राजनीति में तो हिस्सा लिया परन्तु बाद में इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अनैतिकता तथा अपराधी प्रवृत्ति की वृद्धि को देखते हुए महिलाओं की संख्या में निरन्तर कमी आती गई। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को प्रारम्भ से ही मताधिकार उपलब्ध है। परन्तु कुवैत जैसे देशों में तो आज भी महिलाओं का संसद में आना तो दूर की बात है मताधिकार भी प्रदान नहीं किया गया।[8]

सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संसाधन की कमी की है। यदि महिलाएं राजनीति में कूद भी जाएं तो भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए धन जुटाने की समस्या का सामना करना तो पड़ेगा ही। वर्तमान राजनीति में पैसों की भूमिका सबसे आम होती है। अर्थात धनाभाव के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी स्वतः कम रह जाएगी इसी वजह से भारत जैसे देशों में महिलाओं को चुनाव में टिकट देने की परम्परा सदा से कम रही है। यही समस्या पूरी दुनिया में विद्यमान है। आश्चर्यजनक सत्य तो यह भी है कि टिकट मिल पाने पर महिला उम्मीदवार को महिला व्यापारी या समाज की सम्पन्न महिलाएं भी आर्थिक सहायता नहीं देती है। स्पष्टतः पर्याप्त चुनाव प्रचार के अभाव में महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में पिछड़ जाती है।[9]

जब से नारी स्वतंत्रता की लहर चली है, महिलाओं द्वारा आरक्षण की मांग बढत्रने लगी है। स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और फिर सत्ता में आरक्षण यह सभी मांगे स्वीकार हुई है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था और संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन ने सत्ता में भी महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। आज पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब महिलाओं ने सत्ता में भागीदारी की मांग को संसद तथा विधानसभाओं तक पहुंचा दिया है।[10]

सत्ता में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना बुरा नहीं है और न ही विरोध का विषय है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में यह उचित भी है लेकिन भारत जैसे देश में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने से पूर्व हमें इतिहास को कुरेदना होगा। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई स्थान मिले। आज अनेक महिलाएं पंच, सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों पर आसीन है। लोकतंत्र के वटवृक्ष तले इन महिलाओं को देखकर प्रसन्नता भी होती है लेकिन प्रश्न यह है कि इनमें से कितनी महिलाएं अपने बलबूते पर अपने कृत्यों का निर्वहन कर पा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिकांश महिलाएं अपनी प्रतिभा को काम में ना लेकर अपने पति के सहारे सत्ता का सुख भोग रही है। वैधानिक दृष्टि से तो पंच, सरपंच, प्रधान एवं प्रमुख महिलाएं ही है लेकिन वास्तविक दृष्टि से पुरूष उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं।[11]

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पंचायती राज संस्थाओं को चलाना एवं सत्ता की बागडोर संभाल पाना कोई बच्चों का खेल नही है। सोच, समझ, शिक्षा एवं साहस सभी कुछ आवश्यक है। इसके लिये क्या भारतीय महिलाओं में अभी भी ये सारी क्षमताएं मौजूद है? हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित ही नहीं, निरक्षर भी है। राजनीति के प्रति उनकी सोच व समझ परिपक्व नहीं है। गांवों में सामाजिक कुरीतियों एवं अविश्वासों में पली महिलाएं पुरूषों के साथ बैठकर सत्ता चलाने का साहस भी जुटा पाती है। क्या ऐसे माहौल में महिलाओं की भागीदारी वास्वविक रूप में सार्थक सिद्ध हो सकेगी?

निष्कर्ष :– उक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश में महिलाओं की स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में सुधार हो रहा है लेकिन समाज में उन्हें वांछित स्थान दिलाने हेतु अभी भी इस ओर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वास्तविकता यह है कि महिलाओं की स्थिति बदलने के लिए तमाम सरकारी और कानूनी प्रयास तब तक ही अधिक कारगर हो सकते हैं जबकि समाज के सम्पूर्ण सोच, रवैये और पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं में भी उनके प्रति बदलाव आये। दुर्भाग्यवश हमारी तमाम वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति और आधुनिकता को अंगीकार करने के हमारे अनेकानेक दावों तथा नारी आन्दोलनों की विकास यात्राओं के बावजूद समाज के सोच रवैये और पूर्वग्रहपूर्ण धारणाओं में जो परिर्वतन आ रहा है। उसकी गति बहुत धीमी है। परिणामस्वरूप शताब्दी की ओर बढते भारत में अनेक महिलाएं आज भी बाधाओं, वचनाओं की शिकार है जिन्हें लक्ष्य बनाकर अभी हमें उनके लिए लड़ाई जारी रखनी है। निश्चिय ही इस मिशन में सफलता प्राप्त होगी।

संदर्भ सूची

1. गुलाब सिंह आजाद : महिला विकास और सहकारिता, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 1996, पृ. 54
2. डॉ. संजय आचार्य : पंचायती राज में ग्रामीण समाज की भूमिका, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 1997, पृ. 85
3. डॉ. उमेश चन्द्र : नये पंचायती राज में महिलाओं से अपेक्षाएं, कुरूक्षेत्र, अप्रेल, 1996, पृ. 102
4. डॉ. उमेश चन्द्र : महिलाओं के विकास और कल्याण की ओर बढ़ते कदम, कुरूक्षेत्र, अप्रेल 1996, पृ. 48
5. धनंजय चौपड़ा : भारत का ग्रामीण शैक्षिक परिवेश, पृ. 67
6. रामजन्म गुप्ता : साक्षरता ग्रामीण विकास के लिए उपयोग, कुरूक्षेत्र, सितम्बर, 1996, पृ. 38
7. कान्ता जैन : पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका, कुरूक्षेत्र, अप्रेल 1996, पृ. 85
8. उमेश कुमार : ग्रामीण विकास की सफलता के लिए जागरूकता का महत्व, कुरूक्षेत्र, सितम्बर, 1996, पृ. 78
9. परमहंस कुमार : महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 1996, पृ. 25
10. मोहनसिंह खटाना : समाज एवं राष्ट्र निर्माण हेतु स्त्री की अधिक भागीदारी अपेक्षित, 12 दिसम्बर 1996, पृ. 6
11. शैलेन्द्र कुमार मिश्र : भारत में स्थानीय प्रशासन, पृ. 15

RRIJM 2015, All Rights Reserved